कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 73/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, दिनांक: 22.02.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद: आजमगढ़

ईंट भट्ठों पर लेबर उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता, फर्जी दस्तावेज व ₹2900/- नगद के साथ गिरफ्तार।

जनपद के थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा ईंट भट्ठा संचालकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लेबर उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 02 पुरुष अभियुक्त एवं 01 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक एवं ₹2900/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

➡ दिनांक 19.02.2026 को वादी हरिश्चन्द्र यादव, संचालक प्रमोद ईंट भट्ठा, ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त शाहिद हुसैन व उसके परिवारजनों द्वारा लेबर उपलब्ध कराने के नाम पर ₹4,00,000/- बैंक खातों में तथा ₹5,000/- नगद प्राप्त किए गए, परंतु लेबर उपलब्ध नहीं कराई गई। पैसे की मांग करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 56/2026 धारा 316(2), 352, 351(3) BNS पंजीकृत किया गया।

➡ इसी प्रकार दिनांक 22.02.2026 को अन्य भट्ठा संचालक द्वारा भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी नाम-पते से शपथ पत्र देकर लगभग ₹2,80,000/- की धनराशि बैंक खाते एवं फोनपे के माध्यम से प्राप्त की गई तथा बाद में श्रम विभाग में शिकायत कर लेबर को वापस भिजवा दिया गया। इस संबंध में मु0अ0सं0 63/2026 धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.02.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भटौरा अंडरपास से 02 पुरुष व 01 महिला अभियुक्ता को समय 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. शाहजहां पत्नी शाहिद हुसैन,निवासी ग्राम हरचुईया, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत
02. फैजान पुत्र शाहिद हुसैन, निवासी ग्राम हरचुईया, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत
03. एहसान पुत्र शाहिद हुसैन, निवासी ग्राम हरचुईया, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत

बरामदगी-

01. विभिन्न नाम-पते वाले कूटरचित आधार कार्ड
02. वोटर आईडी कार्ड
03. बैंक पासबुक (इंडियन बैंक/इलाहाबाद बैंक)
04. ₹2900/- नगद
05. एक मोबाइल फोन (Realme)

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार किया गया कि वे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ईंट भट्ठा मालिकों से लेबर सप्लाई के नाम पर अग्रिम धनराशि प्राप्त करते थे। बाद में श्रम विभाग में शिकायत कर लेबर को छुड़वा देते थे और प्राप्त धनराशि लेकर फरार हो जाते थे। यही इनका पेशा था।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 56/26 धारा 316(2), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2) BNS थाना: मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 63/26 धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3) BNS थाना: मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह
02. हे0का0 उमेश कुमार यादव, सर्विलांस सेल, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 22.02.2026
थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सरकारी धन के गबन के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बरदह पुलिस द्वारा आर0के0वी0वाई0 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अंतर्गत प्राप्त सरकारी धनराशि में गबन करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना / प्रकरण का विवरण-

वादी मुकदमा सौरभ कुमार पुत्र स्व० राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर (सहायक विकास अधिकारी) द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि आर0के0वी0वाई0 योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹5,00,000/- की धनराशि में से ₹1,36,274.84/- का गबन किया गया है। उक्त शिकायत के आधार पर थाना बरदह पर दिनांक 28.02.2025 को मु0अ0सं0 409/25 धारा 316(5) बीएनएस बनाम अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व० कन्हैया लाल गुप्ता निवासी ग्राम अबुसईदपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.02.2026 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता को उसके घर ग्राम अबुसईदपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ से समय लगभग 10:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व० कन्हैया लाल गुप्ता, निवासी: ग्राम अबुसईदपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 409/25 धारा 316(5) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 पवन कुमार यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस- नोट, दिनांक 22.02.2026
थाना-जीयनपुर, आजमगढ़

25 हजार रूपये के ईनामिया अभियुक्त, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 04.01.2026 को उ0नि0 जाफर खाँन मय हमराह ग्राम पारनकुण्डा मे मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक पीकप पर कुछ लोग गौशाला पारनकुण्डा से गोवंश चुराकर अपने पीएकप पर लाद रहे है मौके पर पहुंचे तो 02 अभियुक्त फरार हो गये तथा मौके से 04 नफर जिन्दा पशु बरामद हुये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 303(2) बीएनएस बनाम वाहन संख्या UP60 CT 3511 पर सवार कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 21.02.2026 को निरीक्षक राजकुमार सिंह मय हमराह, उ0नि0 अजय यादव मय हमराह अजमतगढ़ तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया वांछित/ इनामिया अभियुक्त दिव्य प्रकाश सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी रक्सा थाना पकडी जनपद बलिया जो जमीन मेघई नरैना नहर पुलिया पर खड़ा होकर वाहन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त दिव्य प्रकाश सिंह उर्फ आकाश सिंह को जमीन मेघई नरैना नहर पुलिया से समय करीब 21.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 88/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दिव्य प्रकाश सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी रक्सा थाना पकडी जनपद बलिया

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद नजायज तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 303(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 128/2022 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 429 भादवि थाना मनियर जनपद बलिया
4. मु0अ0सं0 398/2020 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 203/2022 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि0 अधि0 11(1)(D) /11(1)E पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना भीमपुरा जनपद बलिया
6. मु0अ0सं0 204/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया
7. मु0अ0सं0 194/2023 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया।

गिरफ्तारी करनेवाली टीम-

1. प्र0नि0 राजकुमार सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 अजय यादव चौकी प्रभारी अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. हे0का0 राजेश कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. हे0का0 संदीप यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
7. का0 अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
8. का0 हरिकिशन मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
9. का0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़